

प्रेषक,
शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25-02-2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान करने एवं अन्य राहत कार्यों हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1171/आपदा-2024-25 दिनांक 14.02.2025 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाढ़ से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान करने एवं अन्य राहत कार्यों में हुए व्ययों के भुगतान हेतु रु0 55,367/- (रु0 पचपन हजार तीन सौ सठसठ मात्र) की धनराशि वित्तीय 2024-25 में राज्य आपदा मोचक निधि के बाढ़ मद- 02 से निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टी.आर.-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0-33-03/2020-NDM-1 दिनांक 11.07.2023, जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रु0 55,367/- (रु0 पचपन हजार तीन सौ सड़सठ मात्र)** आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by

Shailendra Mani Tripathi
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

Date: 25-02-2025 18:43:49

संख्या- 140 (1)/एक-10-2025, तद्विनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 6- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-28/02/2025

प्रेषण संख्या:- 140
आवंटन आदेश संख्या:- 001-140
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	55367 175550623	55367 175550623
	योग	वर्तमान प्रगामी	55367 175550623	55367 175550623

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचपन हजार तीन सौ सरसठ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्रह करोड़ पचपन लाख पचास हजार छः सौ तेइस


(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।